



26/11

दूरभाष- 2286709

2286710

नव नेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3087 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 26 सितम्बर 2016

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50338137779	IFSC Code ALLA0212222	355.026

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 बुद्धनगर में पिच रोड से पटेश्वरी के मकान, मन्दिर होते हुए मुन्ने शफीक मास्टर तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	16.646
2	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 बुद्धनगर में हाजी जन्नू से शफीक, जीलानी व अन्य के घर तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	13.381
3	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 बुद्धनगर में पिच रोड से कब्रिस्तान, जगल असागर, शशिकला, वकील साहब, देवी लाल श्रीवास्तव व अन्य के घर तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	16.953
4	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 इन्दिरा नगर में गिरीश चन्द्र के मकान से विरेन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	17.314
5	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 इन्दिरा नगर में बालगोविन्द के मकान से ज्ञानेन्द्र यादव के मकान होते हुए गोविन्द, ईश्वरदेव, गिरधर व जीत सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	16.820
6	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 इन्दिरा नगर में अमित सिंह के घर से गायत्री मन्दिर होते हुए अवेनेन्द्र, बृज कुमार के मकान होते हुए कब्रिस्तान एवं समय माता स्थान तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	17.233
7	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0पा0 सिद्धार्थनगर	मौ0 इन्दिरा नगर में राम नरेश के घर से सिंहेश्वरी इ0का0 व रघुपति जायसवाल वि0म0 इ0का0 तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	17.189



36/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
8	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० शिवाजी नगर में लुम्बिनी रोड से शम्भू प्रसाद, खेदू, कैलाश पक्षी के घर तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	16.557
9	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० शिवाजी नगर में कमलेश के मकान से राजकीय क०इ०का०, कृष्ण बाल विद्या मन्दिर, अनूप यादव के घर होते हुए सौरभ के मकान तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	17.002
10	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में मौ० सैदा के घर से मौ० हारिश् एवं नर्वदेश्वर के मकान होते हुए उर्मिला के मकान एवं सिंहेश्वरी मन्दिर व अन्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	11.032
11	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में राम बिलास के मकान से बरन, रशीद, आकाश के घर होते हुए गोरख सिंह व अन्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.265
12	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में मण्ड जी के मकान से शिवशंकर प्रजापति, तिलकराम व अन्य के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.416
13	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में महेश गुप्ता के घर से अबूशामा, अरालम, यहिया भट्टा वाले के घर तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	22.011
14	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में मुन्ना से याकूब व अन्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग, नाली एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	20.299
15	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में रमाशंकर से अखण्ड प्रताप, हाजी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	15.067
16	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बेलसड़ में वकील के घर से जैसा मौहम्मद के घर होते हुए आफिसर्स कालोनी तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	27.127
17	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में अबू हाजी से समद व अन्य के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	16.535
18	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० बुद्धनगर में देवी लाल के घर से डा० जावेद के घर होते हुए जगरनाथ, ईश्वरचन्द, सुधीर शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	19.467
19	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० पूरब पड़ाव में राकेश से डब्लू एवं शर्मा जी के मकान होते हुए गामा तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	16.896
20	सिद्धार्थनगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सिद्धार्थनगर	मौ० पूरब पड़ाव में सुग्रीम के घर से राजू यादव, शंकर, अग्रवाल व अन्य के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	17.816
	योग				355.026

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



36/3

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जाये उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्त अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अर्कित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त निम्नन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त निम्नन्त्रक